न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 501/2016

जगन्नाथ पुत्र मथुरा जाति बैरवा निवासी चेनपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां

...... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 15.07.2016 निर्णय दिनांक : 04.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम चैनपुरिया में स्थित है जो साबिक जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 सेटलमेंट पूर्व खाता संख्या 70 की कुल किता 194 की 8 बीघा व 219 की 2 बीघा कुल 10 बीघा भूमि अलोट हुयी थी जिस पर इन्तकाल नं0 54 से उक्त आराजी प्रार्थी के गेर खातेदारी में दर्ज की गई है। तथा वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार हाल खसरा नं0 234 रकबा 1.13 है0 खसरा नं0 238/430 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 275 रकबा 0.29 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। दौराने सेटलमेंट राजस्व कार्मिको ने प्रार्थी की आराजी ग्राम चैनपुरिया का रकबा पूर्व से कम दर्ज कर दिया। अतः निवेदन है कि खसरा नं0 234 का रकबा 1.13 है0 के स्थान पर 1.28 है0 व खसरा नं0 275 का रकबा 0.29 है0 के स्थान पर 0.32 है0 दुरूस्त कर दर्ज राजस्व रेकार्ड किया जाकर रकबे के अनुसार वर्तमान नक्शा साबिक नक्शा के मुताबिक तथा जमाबंदी 10 बीघा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/1 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा यह अंकित किया कि प्रार्थी के कमी रकबे 0.18 है0 में से 0.15 है0 की पूर्ति पूर्व में की जा चुकी है। शेष कमी रकबे 0.03 है0 की पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में कमी रकबे की पूर्ति पूर्व में भी की जा चुकी है एवं शेष कमी रकबे 0.03 है0 की पूर्ति हेतु समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प शाहपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल